



Neutral Citation No - 2026:AHC:22116-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2026 की 246

ऋषि कुमार पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: आनन्द कुमार चौरसिया

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मीनाक्षी सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, अभिकथित रूप से लोकहित में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.10.2025 को देवरिया स्थित आइकन शुगर मिल परिसर में दिनांक 01.11.2025 से 15.02.2026 की अवधि में मेले के आयोजन हेतु प्रदान की गई की अनुमति को निरस्त करने की याचना करते हुए दाखिल की गई है।

2. याचिका दिनांक 22.01.2026 को दाखिल की गई है जबकि प्रश्नगत मेला दिनांक 01.11.2025 से चल रहा है और दिनांक 15.02.2026 को समाप्त होना है। याचिका में यह इंगित नहीं किया गया है कि लगभग तीन माह बीत जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता ने वर्तमान जनहित याचिका दाखिल करना क्यों उचित समझा।

3. जब यह पृच्छा की गई कि मेला स्थापित किए जाने से नागरिकों के जीवन को संकट में पड़ने की आशंका के सम्बन्ध में, क्या तीन माह की अवधि में कोई दुर्घटना घटित हुई, तो उत्तरित किया गया कि कोई दुर्घटना नहीं हुई।

4. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, हम वर्तमान जनहित याचिका को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं पाते। अतः वही खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

2 फरवरी, 2026

एन.डी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"